संख्या: 8/2017/1231/12-2-2017-60(3)/2016

प्रेषक,

बी0 राम शास्त्री,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 अप्रैल, 2017

विषय: भारत सरकार के निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2017-18 व 2018-19 के खरीफ तथा रबी मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस0 कैम्प-824/सी-32/फ0बी0/2016-17 दिनांक 21 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2017-18 व 2018-19 के खरीफ तथा रबी मौसम में प्रदेश में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किए जाने की निम्नवत स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. वर्ष 2017-18 व आगामी वर्षों के खरीफ व रबी मौसम में प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू किए जाने हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2017 में इन योजनाओं के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों व फसलों के चयन, बीमित राशि, बीमा की इकाई, इन्डम्निटी स्तर आदि के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुए वर्ष 2017-18 व 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में खरीफ मौसम में फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर एवं रबी मौसम में फसल गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों व आलू को ग्राम पंचायत स्तर पर तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जनपद कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, बाराबंकी, कौशाम्बी व महराजगंज में फसल केला तथा जनपद फतेहपुर, फिरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, मिर्जापुर व बरेली में फसल मिर्च को ब्लाक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर पर बीमित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन तथा आयुक्त, गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा फसल गन्ना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया है कि गन्ना एक कठोर तने वाली बहुवर्षीय फसल है। इस फसल पर बाढ, सूखा, आंधी, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम होता है तथा यह किसी भी प्राकृतिक आपदा में पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती है। यहाँ तक कि फसल गन्ना में आग लगने के बाद भी जले गन्ने की चीनी मिलों को आपूर्ति एवं नियत फार्मूले पर आधारित देय गन्ना मूल्य के भुगतान करने की व्यवस्था है। फसल पर प्राकृतिक आपदाओं के न्यूनतम प्रभाव एवं जले गन्ने की आपूर्ति की सुविधा के दृष्टिगत प्रदेश में कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देय प्रीमियम की वसूली का विरोध करते हुए गन्ना फसल को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर रखने की मांग की जा रही है। अत: गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन तथा आयुक्त, गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश के अनुरोध के क्रम में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में फसल गन्ना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमित नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ-साथ यूनीफाइड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत कृषकों के लिए अन्य बीमा योजनाओं-बिल्डिंग एण्ड कन्टेन्टस इन्श्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेन्ट इन्श्योरेंस, एग्रीकल्चर पम्पसेट इन्श्यारेंस, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर इन्श्योरेंस, स्टूडेन्ट सेफटी इन्श्यारेंस व जीवन बीमा को चयनित जनपदों में पायलेट आधार पर लागू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें पायलेट अध्ययन हेतु चयनित जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिकृत बीमा कम्पनी द्वारा कम से कम दो योजनाओं में कृषकों को अनिवार्य रूप से कवर किए जाने का प्राविधान किया गया है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 23 फरवरी, 2017 को आहूत बैठक में इस पर विचार-विमर्श किया गया,जिसमें यह सहमति बनी कि यूनीफाइड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत उल्लिखित योजनाओं को प्रदेश के जनपदों में पूर्व से ही साधारण जनरल इन्श्योरेंस कम्पनियों द्वारा संचालित कराया जा रहा है, जिससे जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिकृत बीमा कम्पनी एवं जनपद में पूर्व में कार्यरत साधारण जनरल इन्श्योरेंस कम्पनियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। यूनीफाइड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत कृषकों की अनिवार्य भागीदारी के प्राविधान से जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों की भागीदारी पर भी प्रतिकूल प्रभाव सम्भावित है। इस आलोक में समिति द्वारा यूनीफाइड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावित बीमा योजनाओं को फिलहाल वर्ष 2017-18 में प्रदेश के चयनित जनपदों में पायलेट आधार पर लागू

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नहीं किए जाने के निर्णय को स्वीकार किया गया है।

4. वर्ष 2016-17 में प्रदेश के जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिकृत बीमा कम्पनियों द्वारा कतिपय स्थितियों में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से बीमा कम्पनियों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर क्रियाशील कार्यालय स्थापित नहीं कराया जाना, गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी हेतु अपेक्षित प्रयास नहीं किया जाना, कृषकों को समय से क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित नहीं कराया जाना आदि है। इन कारणों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रभावी व समयबद्ध संचालन प्रभावित हुआ। उपरोक्त बिन्दुओं पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। प्रदेश के कृषकों के हित में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रदेश में प्रभावी संचालन एवं कृषकों को समय से बीमा की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु इन दोनों योजनाओं के संचालन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जिसमें बीमा कम्पनी के किसी कृत्य से योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल ढंग से प्रभाव पडता है, अथवा कृषक को योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ समय से प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिति बनती है, तो उन स्थितियों में संबंधित बीमा कम्पनियों के विरूद्ध अर्थ-दण्ड लगाये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसका विवरण संलग्नक-1 पर दिया गया है।

5. <u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:-</u>

(1) प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति, फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने की स्थिति तथा फसल की कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों में खेत में कटी हुई फसल की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(2) प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के अधिकांश कृषकों द्वारा फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति में बीमित कृषकों को आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप बीमित राशि के अधिकतम 25 प्रतिशत तक तत्काल क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

(3) खडी फसलों की बुवाई से कटाई तक की समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों व अन्य रोके न जा सकने वाले जोखिमों से फसल की उपज में कमी (गारन्टीज उपज के सापेक्ष) के अनुरूप कृषकों को कुल देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर भुगतान कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में कटी हुई अधिसूचित फसल को बेमौसम वर्षा, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, ओला, अतिवृष्टि से फसल की उपज में क्षति को व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

(5) स्थानिक आपदाओं- ओला, भूस्खलन, जल-प्लावन, अंधड/तूफान, रोगों व कृमियों से आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में हुए व्यय के अनुरूप कृषक को व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

(6) फसल की मध्य अवस्था तथा प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल की सम्भावित उपज सामान्य उपज (गारन्टीज उपज) से 50 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में सम्भावित क्षतिपूर्ति के अधिकतम 25 प्रतिशत तक तात्कालिक सहायता प्रदान की जायेगी, जिसे मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर आंकलित कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।

(7) अधिसूचित फसल के उत्पादक ऋणी कृषकों को अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी कृषकों को स्वैच्छिक आधार पर योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

(8) खाद्य फसलें- अनाज व दलहन, तिलहन व वार्षिक नकदी व औद्यानिकी फसलों को योजना में कवर किया जायेगा।

(9) सभी फसलों को वास्तविक प्रीमित दर पर अधिसूचित किया जायेगा।

(10) खाद्य फसलें- अनाज व दलहन, तिलहन व वार्षिक नकदी व औद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को खरीफ फसलों हेतु बीमित राशि के दो प्रतिशत तथा रबी फसलों हेतु डेढ प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा जायेगा। खरीफ व रबी की वार्षिक नगदी फसलों/वार्षिक औद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि के पांच प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा जायेग।

(11) कृषकों द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अन्तर की धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा।

(12) फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल की क्षति का आंकलन बीमा इकाई स्तर पर निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर आंकलित किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा कृषकों को देय क्षतिपूर्ति को बीमित कृषक के बैंक खाते में जमा कराया जायेगा।

(13) प्रदेश में संचालित फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जोखिमों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सभी 75 जनपदों को 6-7 जनपदों के 12

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समूहों (क्लस्टर) में बांटा जायेगा। बीमा कम्पनियों को समूहों के आंवटन की प्रक्रिया संलग्नक-2 पर दिया गया है।

6. <u>पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना:-</u>

(1) कम वर्षा, बेमौसम/अधिक वर्षा, पाला, कम व अधिक तापमान, आर्द्रता आदि प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

(2) अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी ऋणी कृषक अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं।

(3) खाद्य फसलें (अनाज, कदन्न व दलहन) तिलहन व वार्षिक नगदी/औद्यानिकी फसलों को योजना में कवर किया जायेगा।

(4) सभी फसलों को वास्तविक प्रीमियम दर पर अधिसूचित किया जायेगा। खाद्य फसलें (अनाज, कदन्न व दलहन) तिलहन फसलों हेतु कृषकों द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को खरीफ फसलों हेतु बीमित राशि के दो प्रतिशत तथा रबी फसलों हेतु डेढ प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा गया है। खरीफ व रबी की वार्षिक नकदी फसलों/वार्षिक औद्यानिकी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि के पांच प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम दर, जो कम हो, तक सीमित रखा जायेगा।

(5) कृषकों द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक एवं फसल के वास्तविक प्रीमियम दर के अन्तर की धनराशि को प्रीमियम पर अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा।

(6) बीमा कम्पनियों को कार्य क्षेत्र के आवंटन की प्रक्रिया संलग्नक-2 पर दिया गया है।

(7) फसलों की क्षति का आंकलन फसल की बुवाई से कटाई की समयावधि के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण में फसल की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए निधारित मौसमीय स्थितियों एवं बीमा इकाई क्षेत्र में मौसम की वास्तविक स्थितियों में अन्तर के आधार पर फसल की सम्भावित क्षतिपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से बीमा इकाई स्तर पर स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किए जायेंगे जिन पर उपलब्ध मौसम के प्रतिदिन के आंकडों के आधार पर फसल की सम्भावित क्षति का आंकलन किया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा बीमित कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में 110-फसल बीमा-01-केन्द्र प्रयोजित योजनायें-0102-नेशनल क्राप इन्श्योरेंस प्रोग्राम (के0 50/रा0 50) के 27-सब्सिडी मानक मद में धनराशि रूपये 450 करोड का प्राविधान कराते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम पर अनुदान मद में राज्यांश की देयता का भुगतान एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश में अधिकृत बीमा कम्पनियों को सुनिश्चित कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार बजट का प्राविधान कराते हुए योजना का संचालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

8. प्रश्नगत योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत गाइड-लाईन्स/प्राविधानों के अनुसार ही किया जायेगा एवं लाभार्थियों की सूची कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाली जायेगी।

9. प्रश्नगत योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था किए जाने हेतु प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा यथा प्रक्रिया विचार किया जायेगा।

10. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में फसल केला के लिए जनपद इलाहाबाद एवं देवरिया तथा फसल मिर्च के लिए जनपद शाहजहॉपुर को भी सम्मिलित कर बीमित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(बी0 राम शास्त्री)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।